प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे ,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3050/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2017, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड संख्या-7/31 व 7/32 में निर्माण हेतु अवशेष धनराशि धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रायोजना की स्वीकृति शासनादेश संख्या-21/2018/705/71-2-2017-आरएम-23/2016, दिनांक 19 फरवरी, 2018 द्वारा ₹ 18014.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 2000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमतीनगर विस्तार योजना के सेक्टर-7 में संस्थान को आवंटित भू-खण्ड पर निर्माण हेतु प्रथम किश्त की सीमा के अंतर्गत रू0 4112.49 लाख (रूपया इक्तालीस करोड बारह लाख उनचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
3) स्वीकृत की जा रही वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसकी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।
5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
6) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0 द्वारा प्रस्तावित प्रायोजना के निर्माण कार्य की गुणवत्ता का थर्ड पार्टी टेक्निकल आडिट आई0आई0टी0, बी0एच0यू0, वाराणसी/आई0आई0टी0, कानपुर/आई0आई0टी0, रूड़की/एम0एन0आई0टी0, इलाहाबाद से कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- निदेशक संस्थान/कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति कुर्सी क्षेत्रफल दरों/एलीवेशन एरिया दरों/मानकीकृत लागत के आधार पर निर्गत करते हुए प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी है, तो परियोजना के जनपद के शिड्यूल आफ रेट पर विस्तृत आगणन गठित कर, उस पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26-8-2014 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर, पुनरीक्षित प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति के बाद ही द्वितीय एवं अगली किश्ते अवमुक्त किये जाने की मांग की जाय।

5- आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर, कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।

6- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-04-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर लखनऊ-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 129/2018/3040(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5) वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7) महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
8) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in